राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.2(क)(M–513) अलेसे–।/ 376 दिनांकः– 22/8/19

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश संख्या 352/2018–19 दिनांक 25.02.2019 द्वारा श्री मुरारी लाल वर्मा (लिंक नम्बर 2888), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। का स्थानान्तरण महाप्रबन्धक, राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर से उपकोषालय, चितलवाना (जालौर) किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री वर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री वर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 22.08.2019 को मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि चूँकि श्री वर्मा का महाप्रबन्धक, राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर नें कार्य करने का अधिकार इस कार्यमुक्ति के साथ ही समाप्त हो गया है, अतः उक्त कार्यालय से बिना किसी अन्य कार्यमुक्ति का इंतजार किए तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल–jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141–2744134/2740735 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त, श्री वर्मा को निर्देश दिये जाते है कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में **कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण** 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मुकुन्द सोहोर्ना)
निदेशक

क्रमांकः– एफ (क)(M–513) अलेसे–।/ 376 दिनांकः– 22/8/19

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. महाप्रबन्धक, राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के पश्चात् अब तत्काल प्रभाव से उक्त कार्मिक का आपके विभाग में राजकीय कार्य सम्पादन करने का अधिकार समाप्त हो चुका है, अतः अब से आपके विभाग में उक्त कार्मिक से कार्य लिया जाना विधिसंगत नहीं होगा। यदि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्मिक की कार्यमुक्ति किए जाने के पश्चात् भी कार्यमुक्त हुए कार्मिक से उसके द्वारा पूर्व में धारित पद का कोई भी राजकीय कार्य आपके विभाग/कार्यालय में कराया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित विभाग/कार्यालय का ही होगा।
2. उपकोषाधिकारी, चितलवाना (जालौर)।
3. श्री मुरारी लाल वर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।, कार्यालय–महाप्रबन्धक, राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर को तत्काल पालनार्थ। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त कर दिए जाने के कारण उक्त कार्यालय में राजकीय कार्य सम्पादन के अधिकार की समाप्ति के उपरांत भी यदि आपने उक्त विभाग/कार्यालय में कोई राजकीय कार्य किया तो इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाएगा और आपके विरूद्ध यथेष्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–I)